



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266358  
CG-DL-E-24092025-266358

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4205]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4205]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

**का.आ. 4323(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2321(E) तारीख 26/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चिक्कबल्लपुरा जिले में NH69 के (डिजाइन Ch.0.00 (मौजूदा Ch. Km.428.880) से डिजाइन Ch.15.400 (मौजूदा Ch.444.010) (चिंतामणि से आंध्र प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28/05/2025 को "थे टाइम्स ओफ इंडिया [इंग्लिश]", 28/05/2025 को "विजया कर्नाटक" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चिक्कबल्लपुरा जिले में NH69 के (डिजाइन Ch. 0.00 (मौजूदा Ch. Km. 428.880) से डिजाइन Ch.15.400 (मौजूदा Ch. 444.010) (चिंतामणि से आंध्र प्रदेश सीमा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: चिक्कबल्लपुरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चिंतामणि					
गांव का नाम: डोड्डाकोट्टाहल्ली					
1	98	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.1649	गोपल्लप्पा उरुफ गोपालरेड्डी स्लो लेट चन्नारायप्पा, चेन्नाकेसहवा एँस्/ओ मुनियाप्पा  98/1,98/2,98/4
गांव का नाम: वड्डाहल्ली					
2	52	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.2775	चंद्रशेखर वी एँम् एँस्/ओ मुनियाप्पा, गोपल्लप्पा उरुफ गोपालरेड्डी एँस्/ओ  लाटेचन्नारायप्पा, चेन्नाकेसहवा एँस्/ओ मुनियाप्पा 52/1,52/2,52/3
गांव का नाम: मायलापुरा					
3	178	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.0465	मुनिवेंकटप्पा एँस्/ओ नारायणप्पा
4	37	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.0894	मुनिवेंकटप्पा एँस्/ओ नारायणप्पा

5	40	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.018	नारायणस्वामी, पर्सन एम्‌एन् केम्पैया एस्/ओ नारायणप्पा 40/1,40/2
6	46	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.0873	मंजुला डबल्यू/ओ जे लोकेश
7	47	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.007	लक्ष्मीनारायण एस्/ओ गोपालप्पा, कृष्णप्पा एस्/ओ गोपालप्पा, दोबीचिक्कागोपालप्पा एस्/ओ वेंकटरायप्पा, दोबिश्रीनिवासप्पा एस्/ओ सीतारामप्पा द्यावम्मा, रामचंद्रप्पा, सुबन्ना., एम्‌ एन् केम्पैया एस्/ओ नारायणप्पा 47/1,47/2
8	54	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.4195	आर् नालेगौड एम्‌के रामेगौडा, एम्‌के वेंकटेशगौडा एस्/ओ कोदंडरामेगौडा, मुनिवेंकटप्पा, मुनिवेंकटप्पा एस्/ओ नारायणप्पा5 4/1,54/2,54/3,54/4
9	55	निजी (प्राइवेट)	ड्राय	0.025	आर् नल्लेगौडा एस्/ओ कोंडंदरमैया, आर् नल्लेगौडा एस्/ओ एम्‌एन् कोंडंडरामेगौडा
Total				1.1351	

[फा. सं. RW/NH-69/Km. 0.00 to Km.15.58/22-23/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

**S.O. 4323(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2321(E) Dated:26/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-69 in the stretch of land from (Design Ch. 0.00 (Existing Ch. Km.428.880) to Design Ch.15.400 (Existing Ch. 444.010) (Chinthamani to Andhra Pradesh Border Section) in the district of CHIKKABALLAPURA in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 28/05/2025, “Vijaya Karnataka” dated 28/05/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land (Design Ch. 0.00 (Existing Ch. Km. 428.880) to Design Ch. 15.400 (Existing Ch. 444.010) (Chinthamani to Andhra Pradesh Border Section) on NH-69 in the state of KARNATAKA.**

State: KARNATAKA			District: CHIKKABALLAPURA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Chintamani</b>					
<b>Village: Doddakondrahalli</b>					
1	98	Private	Dry	0.1649	Gopallappa uruf Gopalreddy slo Late Channarayappa, Chennakesahava s/o Muniyappa 98/1,98/2,98/4
<b>Village: Vaddahalli</b>					
2	52	Private	Dry	0.2775	Chandrashekar V M s/o Muniyappa, Gopallappa uruf Gopalreddy s/o Late Channarayappa, Chennakesahava s/o Muniyappa 52/1,52/2,52/3
<b>Village: Mylapura</b>					
3	178	Private	Dry	0.0465	Munivenkatappa s/o Narayanappa
4	37	Private	Dry	0.0894	Munivenkatappa s/o Narayanappa
5	40	Private	Dry	0.018	Narayanswamy, person MN Kempaiah s/o Narayanappa 40/1,40/2
6	46	Private	Dry	0.0873	Manjula w/o J Lokesh
7	47	Private	Dry	0.007	Lakshminarayana s/o Gopalappa, Krishnappa s/o Gopalappa, Dobichikkagopalappa s/o venkatrayappa, Dobisrinivasappa s/o sitaramappa Dyavamma, Ramchandrappa, Subanna., M N

					Kempaiah s/o Narayanappa 47/1,47/2
8	54	Private	Dry	0.4195	R Nallegowd MK Ramegowda, MK Venkateshgowda s/o Kodandaramgowda, Munivenkatappa, Munivenkatappa s/o Narayanappa5 4/1,54/2,54/3,54/4
9	55	Private	Dry	0.025	R Nallegowda s/o kondandaramaiah, R Nallegowda s/o MN kondandaramgowda
<b>Total</b>				<b>1.1351</b>	

[F. No. RW/NH-69/Km. 0.00 to Km. 15.58/22-23/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director